ईमेल

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26-अरेरा हिल्स किसान भवन भोपाल

क्रमांक/मंडी/प्रांगण/विविध/46/61/एग्रीबाजार/25 भोपाल दिनांक 6/1/2022

प्रति

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति, ... (समस्त)

जिला ....(समस्त)

विषय- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (ऑन लाईन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम 2016 (यथा संशोधित) के अधीन ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ- कार्यपालन पत्र क्रमांक/बी-6/नियमन/ई-प्लेटफार्म/स्टार एग्री/563/1224 भोपाल, दिनांक 13/05/2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत् संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिये। मध्यप्रदेश राज्य में प्रांगण में ई-प्लेटफार्म परिचालन के लिये अनुज्ञप्ति, ई-प्लेटफार्म अनु.क्र-01 दिनांक 13/05/2021 में उल्लेखित शर्तो के अधीन नियम 2016 के नियम5(6) के तहत मेसर्स स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड को मंडियों में ई-प्लेटफार्म परिचालन हेतु स्वयं की अधोसंरचना स्थापित करने हेतु मण्डी द्वारा जिला कलेक्टर दर पर किराये से समुचित स्थान/जगह दी जावेगी।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि मेसर्स स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा आवदेन प्रस्तुत किये जाने पर उपरोक्त कार्यवाही नियमानुसार कर इलेक्ट्रनिक प्लेटफार्म् हेतु जिला कलेक्टर दर पर किराये से स्थान उपलब्ध करावे।

संलग्न- अनुज्ञप्ति की छायाप्रति।

(कार्यवाही प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(चन्द्रशेखर वशिष्ठ)
अपर संचालक(प्रांगण/सम्पदा)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्रमांक/मंडी/प्रांगण/विविध/46/61/एग्रीबाजार/26 भोपाल दिनांक 6/1/2022

<u>प्रतिलिपि</u>-

01- संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय.........................(समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

02- क्षेत्रीय प्रमुख, स्टार एग्रीबाजार टेक्नोलॉजी, प्लाट नम्बर जेड-15 शीला आर्केड, एम.पी.नगर, जोन-1 भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में स्थान/जगह के लिये आवेदन प्रस्तुत करने पर संबंधित मण्डी के प्रांगण में वांछित भूमि उपलब्ध होने पर ही आपकी संस्था को कलेक्टर दर पर भूमि उपलब्ध कराई जा सकेगी।

अपर संचालक(प्रांगण/सम्पदा)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

1

agribazaar

An ISO-9001:2015 & ISO-27001 CertifiedCompany
STAR AGRIBAZAAR TECHNOLOGYLIMITED

प्रति,

दिनांक 20/09/2021

श्रीमान प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स,
भोपाल (म.प्र)

विषय :- मेसर्स स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ई-प्लेटफॉर्म परिचालन हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा विनिश्चित किराये पर समुचित कार्यालय स्थान उपलब्ध कराने बाबत आवेदन।

सन्दर्भ :-1) राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-डी-15-45-16 चौदह-3 दिनांक 6 जनवरी 2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2018
2) प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल द्वारा प्रदत्त ई-प्लेटफॉर्म परिचालन अनुज्ञप्ति आदेश क्रमांक बी-6/नि./ई-प्लेटफॉर्म/स्टार एग्री/563/1224-1225/563/1224-1225 भोपाल दिनांक 13/5/2021

आदरणीय महोदय,

निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा देश के कृषकों की आय में अपेक्षित वृद्धि हेतु अपनी अति महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना (ई-नाम) के अंतर्गत कृषि उपज की नीलामी, खरीदी-बिक्री के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार की इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की अवधारणा प्रवर्तित की गई है।

इसी अनुक्रम में म.प्र. शासन द्वारा भी प्रदेश के कृषकों को प्रादेशिक /राष्ट्रीय स्तर पर वृहद कृषि बाजार उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-15-45-16 चौदह-3 दिनांक 6 जनवरी 2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2018 लागू की गई जिसके तहत मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 79 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के खंड (छह) के साथ पठित धारा 32-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए **राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी (ऑनलाइन व्यापार एवं ई-प्लेटफॉर्म अनुज्ञप्ति) नियम** 2016 **बनाये गये।** इन नियमों का मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में क्रमशः दिनांक 6 जनवरी 2017 एवं दिनांक 4 अक्टूबर 2018 को प्राधिकार से प्रकाशन हुआ है। **(संदर्भ क्र. 01)**

Regd. Office: 601-604 A Wing, Bonanza Building, Sahara Plaza, J. B. Nagar Metro Station, J.B. Nagar Andheri (E) Mumbai -400059, Maharashtra, India
E-mail: info@agribazaar.com Website : www.agribazaar.com

agribazaar

An ISO-9001:2015 & ISO-27001 CertifiedCompany
STAR AGRIBAZAAR TECHNOLOGYLIMITED

प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के द्वारा मंडी बोर्ड मुख्यालय के आदेश क्रमांक बी-6/ नि./ई-प्लेटफॉर्म/स्टार एग्री /563/1224-1225 भोपाल दिनांक 13/5/2021 से **मेसर्स स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड को राज्य में, प्रांगण में, परिचालन करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म (ई-प्लेटफार्म) की अनुज्ञप्ति उपरोक्त नियम 2016 में विहित शर्तों के अधीन स्वीकृत की गई| (संदर्भ क्र.02)**

मेसर्स स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड को प्रदत्त संदर्भित ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति आदेश दिनांक 13/5/2021 जोकि **समस्त संयुक्त/उपसंचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय एवं सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त) म.प्र. को एवं चीफ प्रोग्रामर म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल** को प्रति पृष्ठांकित होकर मण्डी बोर्ड मुख्यालय द्वारा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संसूचित किया गया है |

मेसर्स स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा अपने ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि उपज की **ऑनलाइन नीलामी खरीदी-बिक्री** प्रारम्भ करने हेतु अग्रसर होकर प्रदेश की मंडियों यथा **इंदौर,उज्जैन देवास,गुना** एवं **छिंदवाड़ा** में ई-प्लेटफार्म परिचालन हेतु नियमनुसार स्वयं की अधोसंरचना स्थापित करने हेतु समुचित कार्यालय स्थान उपलब्ध करने बाबत संबंधित मण्डी सचिवों को आवेदन प्रस्तुत किए गए है| कृपया सुलभ संदर्भ हेतु आवेदनों की छायाप्रति संलग्न है |

मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी (ऑनलाइन व्यापार एवं प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम 2016 के अध्यधीन ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्तिधारी को मंडी में कार्य करने हेतु अपनी स्वयं की अधोसंरचना स्थापित करने के संबंध में **समुचित कार्यालय जगह** उपलब्ध कराने हेतु विहित नियम निम्नानुसार हैं:-

अध्याय-तीन,

ऑन-लाइन व्यापार अनुज्ञप्ति जारी करना |

नियम 5- राज्य में प्रांगण में परिचालन करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म (ई-प्लेटफार्म) अनुज्ञप्ति की मंजूरी --

> नियम 5(6)- अनुज्ञप्तिधारी को ई-नीलामी के लिए अपनी स्वयं की अधोसंरचना राज्य में, प्रांगण में स्थापित करनी होगी और ऑनलाइन व्यापार तथा सहायक सेवाएं जैसे परखने की क्रिया भंडारण और परिवहन आदि उपलब्ध कराने हेतु जनशक्ति तैनात करनी होगी| **मंडी समिति अनुज्ञप्तिधारी को जिला कलेक्टर द्वारा विनिश्चित किराए पर समुचित कार्यालय जगह उपलब्ध कराएगी| वास्तविक उपयोग के आधार पर अनुज्ञप्ति धारी द्वारा मंडी समिति को विद्युत प्रभार संदत्त किए जाएंगे** | अनुज्ञप्तिधारी हार्डवेयर फर्नीचर फिक्चर उपकरण जनशक्ति आदि की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा |"

Regd. Office: 601-604 A Wing, Bonanza Building, Sahara Plaza, J. B. Nagar Metro Station, J.B. Nagar Andheri (E) Mumbai -400059, Maharashtra, India
E-mail: info@agribazaar.com Website : www.agribazaar.com

agribazaar

An ISO-9001:2015 & ISO-27001 CertifiedCompany
STAR AGRIBAZAAR TECHNOLOGYLIMITED

मेसर्स स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आवेदन पर उपरोक्तानुसार समुचित कार्यालय स्थान उपलब्ध कराने के संबंध में मण्डी सचिवों द्वारा असमर्थता अथवा बोर्ड मुख्यालय भोपाल से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने के उपरांत ही आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मौखिक जानकारी दी जा रही है। वस्तुतः प्रश्नाधीन नियम 2016 के अनुसार ई-प्लेटफॉर्म अनुज्ञप्तिधारी को मण्डी समिति द्वारा ही स्थान उपलब्ध कराकर इसका कलेक्टर कार्यालय से किराया विनिश्चय कराने की कार्यवाही स्वयं मण्डी स्तर से ही सम्पादित होकर कार्य पूर्ण किया जाना है।

कृपया उल्लेखनीय है कि माह अक्टूबर **2021** से प्रारम्भ होने वाले खरीफ फसलों की खरीदी-बिक्री हेतु मेसर्स स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के क्रेताओं द्वारा सोयाबीन,मक्का आदि कृषि उपज की खरीदी-बिक्री का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना है जिससे वर्तमान में कृषकों को उचित प्रतियोगी मूल्य प्राप्त होकर मंडियों को भी अतिरिक्त मण्डी फीस की आय प्राप्त होगी।

अतः कृपया निवेदन है कि मेसर्स स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड को मंडियों में ई-प्लेटफार्म परिचालन हेतु स्वयं की अधोसंरचना स्थापित करने के लिए समुचित स्थान उपलब्ध कराने एवं प्रश्नाधीन स्थल का किराया जिला कलेक्टर कार्यालय से निर्धारण कराने की मण्डी स्तरीय कार्यवाही को सम्पादित करने के लिए संबंधित मण्डी सचिवों को बोर्ड मुख्यालय से आवश्यक निर्देश प्रसारित कराने का कृपया कष्ट करे।

सादर धन्यवाद।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

प्रार्थी

STAR AGRIBAZAAR TECHNOLOGY LIMITED BHOPAL M.P.

(अतुल कुमार)
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट,
स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड
मोबाइल नंबर 9910990561

Regd. Office: 601-604 A Wing, Bonanza Building, Sahara Plaza, J. B. Nagar Metro Station, J.B. Nagar Andheri (E) Mumbai -400059, Maharashtra, India
E-mail: info@agribazaar.com Website : www.agribazaar.com

agribazaar

An ISO-9001:2015 & ISO-27001 CertifiedCompany
STAR AGRIBAZAAR TECHNOLOGYLIMITED

1

प्रति,
श्रीमान मण्डी सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति - इन्दौर

विषय: कृषि उपज की ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक खरीदी बिक्री हेतु मंडी समिति में स्थान की उपलब्धता बावत।

आदरणीय महोदय,

निवेदन है कि भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना को भली प्रकार संचालित करने के लिए राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक D - 15-45-16 चौदह ३ दिनांक 6 जनवरी 2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2018 से मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी (ऑनलाइन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम 2016 लागू किया गया है ।

उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत मेसर्स स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) से राज्य की मंडियों के प्रांगण में ई-प्लेटफार्म परिचालन के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) दिनाँक 13 मई 2021 को प्राप्त की गई है।

उपरोक्त ई-प्लेटफार्म परिचालन नियम 2017 के नियम 5 की कंडिका क्रमांक (6) के अंतर्गत मेसर्स स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड को कृषि उपज की ई नीलामी प्लेटफार्म संचालित करने के लिए अपनी स्वयं की अधोसंरचना मंडी प्रांगण में स्थापित की जानी है जिससे कृषि उपज की जांच परख के लिए ग्रेडिंग / भंडारण/ एवं परिवहन की समुचित व्यवस्था हो सके।

ई- मंडी स्थापना से किसानों की नए खरीददारों तक पहुंच आसान हो सकेगी, जिससे किसानों को बेहतर और प्रतियोगी मूल्य हो सकेगा ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि कृपया मंडी के प्रांगण में न्यूनतम 1000 स्क्वायर फीट की निर्मित संरचना उपलब्ध करवाने हेतु मंडी सचिव को निर्देशित करने की कृपा करें ।

धन्यवाद

17.08.21

प्रार्थी
विनय चौधरी
क्षेत्रीय प्रबंधक
स्टार एग्रीबाजार टेक्नोलॉजी लिमिटिड, भोपाल
मोबाइल नो. 9685045444
संलग्न:
अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि फॉर्म "ग"

2/8/21

Regd. Office: 601-604 A Wing, Bonanza Building, Sahara Plaza, J. B. Nagar Metro Station,
J.B. Nagar Andheri (E) Mumbai -400059, Maharashtra, India
E-mail: info@agribazaar.com Website : www.agribazaar.com

agribazaar

An ISO-9001:2015 & ISO-27001 CertifiedCompany
STAR AGRIBAZAAR TECHNOLOGYLIMITED

दिनांक: 16 अगस्त 2021

प्रति,
मंडी सचिव,
जिला उज्जैन, (म. प्र.)

बिषय: कृषि उपज की ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक खरीदी बिक्री हेतु मंडी समिति में स्थान की उपलब्धता बाबत।

आदरणीय महोदय,

निवेदन है कि भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना को भली प्रकार संचालित करने के लिए राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक D - 15-45-16 चौदह ३ दिनांक 6 जनवरी 2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2018 से मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी (ऑनलाइन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम 2016 लागू किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत मेसर्स स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) से राज्य की मंडियों के प्रांगण में ई-प्लेटफार्म परिचालन के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) दिनाँक 13 मई 2021 को प्राप्त की गई है।

उपरोक्त ई-प्लेटफार्म परिचालन नियम 2016 के नियम 3 की कंडिका क्रमांक III के अंतर्गत मेसर्स स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड को कृषि उपज की ई नीलामी प्लेटफार्म संचालित करने के लिए अपनी स्वयं की अधोसंरचना मंडी प्रांगण में स्थापित की जानी है जिससे कृषि उपज की जांच परख के लिए ग्रेडिंग / भंडारण/ एवं परिवहन की समुचित व्यवस्था हो सके।

ई- मंडी स्थापना से किसानों की नए खरीददारों तक पहुंच आसान हो सकेगी, जिससे किसानों को बेहतर और प्रतियोगी मूल्य हो सकेगा।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि कृपया मंडी के प्रांगण में न्यूनतम 1000 स्कायर फीट की निर्मित संरचना उपलब्ध करवाने हेतु मंडी सचिव को निर्देशित करने की कृपा करें।

Read
Ashwini
17.08.21

धन्यवाद

प्रार्थी
विनय चौधरी
क्षेत्रीय प्रबंधक
स्टार एग्रीबाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, भोपाल
मोबाइल नो. 9685045444

STAR AGRIBAZAAR TECHNOLOGY LIMITED BHOPAL M.P.

संलग्न:
अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपी फॉर्म "ग"
नियम की प्रतिलिपि
प्रतिलिपि:
श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला - उज्जैन। कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Regd. Office: 601-604 A Wing, Bonanza Building, Sahara Plaza, J. B. Nagar Metro Station, J.B. Nagar Andheri (E) Mumbai -400059, Maharashtra, India
E-mail: info@agribazaar.comWebsite : www.agribazaar.com

6

agribazaar

An ISO-9001:2015 & ISO-27001 CertifiedCompany
STAR AGRIBAZAAR TECHNOLOGYLIMITED

दिनांक: अगस्त 2021

प्रति
मंडी सचिव
जिला- देवास, मध्य प्रदेश

विषय: देवास कृषि उपज मंडी प्रांगण में स्थान प्रदाय करने वावत।

महोदय

में. स्टार एग्रीबाज़ार टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनयम 1972 और मध्यप्रदेश आनलाइन व्यापार एवं ई प्लेटफॉर्म अनुज्ञप्ति नियम 2016 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई है।

इस हेतु कम्पनी को मंडी प्रांगण में उक्त नियम 2016 नियम 3 के कंडिका 3 के तहत ई नीलामी संचालित करने के हेतु स्वंम की अधोसंरचना स्थापित करना अपेक्षित है इस हेतु जिलाधीश द्वारा अनुशंषित किराये पर मंडी समिति द्वारा प्रार्थी को प्रांगण में स्थान उपलब्ध कराया जाना निर्दिष्ट किया गया है ।

महोदय निवेदन है कि प्रार्थी को मंडी प्रांगण में कम से कम 1000 स्कायर फ़ीट की निर्मित दुकान आवंटित किए जाने की कृपा करें।

ई- मंडी स्थापना से किसानों की नए खरीदारों तक पहुंच आसान हो जाएगी जिससे किसानों को बेहतर और प्रतियोगी मूल्य तथा मंडी को नए प्रतिभागियों द्वारा अतिरिक्त कर का भी संग्रहण हो सकेगा ।

धन्यवाद

प्रार्थी
विनय चौधरी
क्षेत्रीय प्रबंधक
स्टार एग्रीबाजार टेक्नोलॉजी लिमिटिड, भोपाल
मोबाइल नो. 9685045444

संलग्न:
अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपी फॉर्म "ग"
अधिनियम की प्रतिलिपि
प्रतिलिपि:
जिलाधीश देवास
मंडी बोर्ड भोपाल

16/08/2021

कृ.उ.म. समिति देवास

Regd. Office: 601-604 A Wing, Bonanza Building, Sahara Plaza, J. B. Nagar Metro Station, J.B. Nagar Andheri (E) Mumbai -400059, Maharashtra, India
E-mail: info@agribazaar.com Website : www.agribazaar.com

प्रति
श्रीमान [illegible] सचिव
कृषि उपज मंडी समिति

विषय: कृषि उपज की ऑनलाइन [illegible] खरीदी बिक्री हेतु मंडी समिति में स्थान की [illegible]

आदरणीय महोदय

निवेदन है कि भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना को भली प्रकार संचालित करने के लिए [illegible] शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक [illegible] दिनांक 6 जनवरी 2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2018 से [illegible] कृषि उपज [illegible] ऑनलाइन [illegible] नियम 2017 [illegible]

उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत मैसर्स स्टार एग्री [illegible] टेक्नोलॉजी लिमिटेड [illegible] 2020 [illegible] की [illegible] के प्रांगण में [illegible] प्लेटफार्म [illegible] गई है।

[illegible] प्लेटफार्म [illegible] नियम 2017 के नियम 5 की कंडिका क्रमांक (2) के अंतर्गत मैसर्स स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड को कृषि उपज की [illegible] में स्थापित की जाती है जिससे कृषि उपज [illegible] है। मंडी प्रांगण में किसानों की [illegible] सकेगा।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि कृपया [illegible] मंडी समिति को निर्देशित करने की कृपा करें।

धन्यवाद

प्रार्थी
[illegible] चौधरी
क्षेत्रीय प्रबंधक
स्टार एग्रीबाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, भोपाल
मोबाइल नं. [illegible]
संलग्न
[illegible]

agribazaar

An ISO-9001:2015 & ISO-27001 CertifiedCompany
STAR AGRIBAZAAR TECHNOLOGYLIMITED

प्रति,

श्रीमान मण्डी सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
छिंदवाड़ा (म.प्र.)।

विषय: कृषि उपज की ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक खरीदी विक्री हेतु मंडी समिति में स्थान की उपलब्धता बाबत।

आदरणीय महोदय,

निवेदन है कि भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना की भाँति ही कृषि उपज की ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक खरीदी विक्री को भली प्रकार संचालित करने के लिए राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक D - 15-45-16 चौदह-३ दिनांक 6 जनवरी 2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2018 से मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी (ऑनलाइन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम 2016 लागू किया गया है ।

उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत मेसर्स स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड को प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) के द्वारा राज्य की मंडियों के प्रांगण में ई-प्लेटफार्म परिचालन के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) दिनाँक 13 मई 2021 को प्रदान किया गया है।

उपरोक्त ई-प्लेटफार्म परिचालन नियम 2016 के अध्याय तीन के नियम (6) के अंतर्गत मेसर्स स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड को कृषि उपज की ई नीलामी प्लेटफार्म संचालित करने के लिए अपनी स्वयं की अधोसंरचना मंडी प्रांगण में स्थापित की जानी है जिससे कृषि उपज की जांच परख के लिए ग्रेडिंग / भंडारण/ एवं परिवहन की समुचित व्यवस्था हो सके। इसके लिए स्थान की व्यवस्था कृषि उपज मंडी समिति द्वारा की जाना है

ई- मंडी स्थापना से किसानों की नए खरीददारों तक पहुंच आसान हो सकेगी, जिससे किसानों को बेहतर और प्रतियोगी मूल्य हो सकेगा ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि कृपया मंडी के प्रांगण में न्यूनतम 1000 स्क्वायर फीट की निर्मित संरचना उपलब्ध करवाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने की कृपा करें ।

धन्यवाद

प्रार्थी
विनय चौधरी
क्षेत्रीय प्रबंधक
स्टार एग्रीबाजार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, भोपाल
मोबाइल नो. 9685045444
संलग्न:
अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि फॉर्म "ग"

02/09/2021
आवक/जावक लिपिक
कृषि उपज मण्डी समिति
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

9

म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क/बी-6/नि./ई-प्लेटफार्म/स्टार एग्री/563/1224 भोपाल, दिनांक 13/05/2021

प्रति,

क्षेत्रीय प्रमुख
Star Agribazaar Technology Limited
प्लॉट नंबर जेड-15, शीला आर्केड,
एमपी नगर जोन-1, भोपाल।

विषय-मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ऑन लाईन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016 (यथा संशोधित) के अधीन ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ- Star Agribazaar Technology Limited का आवेदन दिनांक 29.10.2018 एवं वांछित जानकारी दिनांक 25.03.2021 एवं 12.04.2021 ।

राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-15-45-16-चौदह-3 दिनांक 6 जनवरी 2017 एवं संशोधित अधिसूचिना दिनांक 4 अक्टूबर 2019 के तहत मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी, 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 79 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (छह) के साथ पठित धारा 32-क द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा, उक्त मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ऑन लाईन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016 लागू किया गया है।

उक्त नियम की कंडिका क्रमांक 2(झ) में उल्लेख अनुसार "इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म (ई-प्लेटफार्म) से अभिप्रेत है, कोई निगमित सत्ता, जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ण) में यथा परिभाषित मण्डी कृत्यकारी के रूप में वाद चला सके और उसके विरूद्ध वाद चलाया जा सके और जो ई-नीलामी (ई-आक्शन) सहित ई-व्यापार (ई-ट्रेडिंग) करने में प्रवृत्त है और जो अधिसूचित कृषि उत्पादों के मूल्य का पता लगाने के लिए अधिनियम की धारा 37 के उपबंधो के अनुसार मण्डी कृत्यकारियो के लिए अपनी सहयाता सेवाएं जैसे परखना, भण्डारण और लॉजिस्टिक्स, डेटा केन्द्र सेवा (डेटा सेण्टर सर्विस), सॉफ्टवेयर सेवाएं आदि उपलब्ध करा रही है।

1/ Star Agribazaar Technology Limited के द्वारा सन्दर्भित आवेदन में ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति लिये जाने हेतु नियम-2016 के नियम (3) के अधीन इंडसइंड बैंक की बैंक गारंटी क्रमांक बीजी नं OGT0018210053014 रूपये 25 लाख की प्रस्तुत की गई है जिसकी अवसान तिथि 18.03.2022 तक है।

2/ संबंधित आवेदक द्वारा विधिवत आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज निर्धारित फीस एवं निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति उपरांत नियम, 2016 की शर्त क्रमांक 6 के तहत राज्य में प्रायोगिक/ में परिचालन करने हेतु इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म (ई-प्लेटफार्म) अनुज्ञप्ति नियम 2016 में विहित शर्तो के अधीन स्वीकृत की जाती है।

Scanned with CamScanner

3/ अनुज्ञप्तिधारी को, नियम 2016 के प्रावधानों का शब्दशः पालन करना अनिवार्य होगा जिसमे प्रमुख है –

(i) आवेदक, पिछले तीन वर्ष से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 1) या किसी अन्य विद्यमान प्रवर्तित विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कंपनी होगा और अन्य बातों के साथ–साथ राज्य कृषि विपणन बोर्ड/कृषि उपज मण्डी समिति/सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाई में, अधिसूचित कृषि उपज की इलेक्ट्रानिक नीलामी सेवा कारोबार में हो और केवल इसी सेवा से उसका कुल टर्नओवर ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान क[illegible] से कम दो करोड़ का हो, (आवेदन के साथ पिछले निकटतम दो वर्षों के अंकेक्षित तुलन पत्रक (Audited Balance Sheet)) तथा लाभ और हानि के लेखा की स्व–प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

(ii) आवेदक को अधिसूचित कृषि उपज के लिए ई–नीलाम प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए मान्यता प्राप्त होना चाहिए और उसने ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक कम से कम 1000 ई–नीलामियां कुल (नीलामी) जिसमें मूल्य की ऐसी सभी ई–नीलामी से रूपये 200,00,00,000/– (रूपये दो सौ करोड़) मूल्य की पूर्ण की होना चाहिए (आवेदन के साथ सम्बद्ध दस्तावेज की स्व–प्रमाणित प्रतिया प्रस्तुत की जाएगी)

(iii) अनुज्ञप्तिधारी को ई–नीलामी के लिये अपनी स्वयं की अधोसंरचना राज्य में, प्रांगण में स्थापित करनी होगी और ऑनलाइन व्यापार तथा सहायक सेवाएं जैसे परखने की क्रिया, भण्डारण और परिवहन आदि उपलब्ध कराने हेतु जन शक्ति तैनात करनी होगी। मण्डी समिति, अनुज्ञप्तिधारी को, जिला कलेक्टर द्वारा विनिश्चित किराए पर, समुचित कार्यालय जगह उपलब्ध कराएगी, वास्तविक उपयोग के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मण्डी समिति को विद्युत प्रभार संदत्त किए जाएंगे। अनुज्ञप्तिधारी, हार्डवेयर, फर्नीचर, फिक्सचर, उपस्कर जनशक्ति आदि की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(iv) इन नियमों के अंतर्गत ऑनलाईन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, केवल ई–प्ले[illegible]ार्म के माध्यम से व्यापार करने का हकदार होगा और इसका ई–प्लेटफार्म अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। आगे यह कि केवल सफलता से व्यापार पूर्ण होने के पश्चात् अर्थात उत्पादों की भौतिक अदायगी और समस्त फीस/देनदारी/व्ययों आदि के साथ ही विक्रेता आदि को राशि के भुगतान के पश्चात, ऑनलाइन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी किसी अन्य ऑनलाईन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के साथ उसके द्वारा राज्य में, प्रांगण में, ई–प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए ई–नीलामी के माध्यम से क्रय की गई उत्पादों के लिये वाणिज्यिक संव्यवहार में भाग लेने का पात्र होगा।

(v) अनुज्ञप्तिधारी, विक्रेता को परखने की प्रक्रिया सेवा और या ऑनलाइन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी क्रेता को भण्डारण तथा लाजिस्टिक सेवा उपलब्ध [illegible], जिसके लिए प्रभारित किए जाने वाले प्रभारों की अग्रिम में ही (जैसे ई–नीलामी प्रारंभ होने के पूर्व) लिये जाने वाले सेवा प्रभारों की अनुज्ञप्तिधारी एवं विक्रेता/क्रेता के बीच सहमति होगी

(ई–निलामी शुरू होने के पूर्व) और ई–नीलामी पोर्टल पर, साथ ही साथ विक्रय करार (अनुबंध पत्रक) जो कि विक्रेता/क्रेता और अनुज्ञप्तिधारी के बीच हुआ है, प्रदर्शित होगा। उक्त सेवा प्रभार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, विक्रेता/क्रेता से संबंधित सेवाएं (परखने की प्रक्रिया और या भण्डारण तथा लॉजिस्टिक आदि) ई–प्लेटफार्म पर स्थल व्यापार के लिये उपलब्ध कराने प्राप्त किया जाएगा।

(vi) अनुज्ञप्तिधारी, अधिसूचित कृषि उत्पादो की खरीद पर अधिनियम, उपविधियों के उपबंधो और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार समस्त प्रगुणित/सम्यक मण्डी फीस और अन्य उपकर, उगाही व्यय का भुगतान संबंधित मण्डी समिति को करना सुनिश्चित करेगा और इसके लिये एकमात्र जवाबदेह होगा।

(vii) ई–प्लेटफार्म अनुज्ञप्तिधारी (**Star Agribazaar Technology Limited**) भोपाल के साथ प्रबंध संचालक द्वारा एक सेवा स्तरीय अनुबंध, नियम 6 के अधीन अधिसूचित मण्डियों के लिये ई–प्लेटफार्म तथा अन्य सेवायें उपलब्ध कराने के निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट करते हुए किया जायेगा। जो ई–प्लेटफार्म अनुज्ञप्तिधारी पर बाध्यकारी होगा। अतः 07 दिवस की अवधि में अनुबंध निष्पादित करने की कार्यवाही सम्पन्न करें।

संलग्न :–अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र प्रारूप–ग–एक

(प्रियंका दास)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क/बी-6/नि./ई-प्लेटफार्म/स्टार एग्री/563/1225 भोपाल, दिनांक 13/05/2021

प्रतिलिपि :-

(1) संयुक्त/उप संचालक, म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/ इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ऑन लाईन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016 (यथा संशोधित) अंतर्गत **Star Agribazaar Technology Limited** को ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण मे अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।

(2) सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.............................. जिला.............................. म0 प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ऑन लाईन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016 (यथा संशोधित) अंतर्गत **Star Agribazaar Technology Limited** को ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण मे अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे।

(3) चीफ प्रोग्रामर, म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned with CamScanner

प्ररूप–ग–एक
(नियम 5 देखिए)

मध्यप्रदेश राज्य में प्रांगण में ई–प्लेटफार्म परिचालन के लिये अनुज्ञप्ति

ई–प्लेटफार्म अनु. क्र. 01 दिनांक 13/05/2021

ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति एतद्द्वारा श्री/मेसर्स **Star Agribazaar Technology Limited** (नाम) पता – प्लॉट नंबर जेड–15, शीला आर्केड, एमपी नगर, जोन–1, भोपाल दूरभाष नंबर- 0755–4055271 को फीस रुपये 5000/- के भुगतान पर, जो इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है, प्रदेश में परिचालन करने के लिए 31 मार्च 2022 (वर्ष) तक वैध, "मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) तथा "मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (ऑनलाइन व्यापार एवं ई–प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों पर मंजूर की जाती है, अर्थात् :–

(1) अनुज्ञप्तिधारी को उक्त अधिनियम, नियमों और उपविधियों द्वारा आबद्ध रहना होगा।
(2) यह अनुज्ञप्ति अहस्तान्तरणीय है।
(3) यह अनुज्ञप्ति उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपबंधों के अनुसार निलंबित या रद्द की जा सकेगी।
(4) इस अनुज्ञप्ति के निलंबन या निरस्तीकरण की दशा में यह प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को समर्पित की जाएगी।
(5) अनुज्ञप्तिधारी प्रदेश में प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत किये अनुसार अंकित किये गए किसी भी प्रांगण में ई–प्लेटफार्म के रूप में व्यवसाय करेगा।
(6) अनुज्ञप्तिधारी, नियम–5 में विस्तारित समस्त शर्तों और निर्बंधनों का पालन सुनिश्चित करेगा और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबंधों का कठोरता से पालन करेगा।
(7) अनुज्ञप्तिधारी घोषित कृषि उत्पादों के विपणन के संबंध में विवाद में, अपने विवाद मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, (क्रमांक 24 सन 1973) तथा उसके अधीन निर्मित नियमों और उपविधियों में दिए गए तरीके से संदर्भ में उल्लेख करेगा।

स्थान भोपाल
दिनांक

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण :

अनुज्ञप्ति की दिनांक:

नवीनीकरण की कालावधि